



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 14 मई, 2008
(24 वैशाख, 1930 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 42/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2008, दिनांक 14 मई, 2008, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, (संशोधन) नियम, 2008. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	429—430
भाग-IV	शुद्धि पंक्तियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मई, 2008

संख्या का० आ० 42/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2008.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 1/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2008, दिनांक 13 मार्च, 2008, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल. इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 27 में, उप-नियम (1) में,—

(i) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(iv) किसी वर्ष में पूंजीभूत रूप से या व्यक्तिगत रूप से पच्चीस लाख रुपये से अधिक अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या राज्य के बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में किये गये विक्रयों का दावा ;”;

(ii) खण्ड (xi) में, अन्त में विद्यमान “तथा” शब्द का लोप कर दिया जायेगा;

(iii) खण्ड (xii) में, अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “;” चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(iv) खण्ड (xii) के बाद, अन्त में निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(xiii) पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के रद्दकरण के मामले।”।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th May, 2008

No. S.O. 42/H.A. 6/2003/S. 60/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web.1/H.A. 6/2003/S. 60/2008, dated the 13th March, 2008, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2008.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 27, in sub-rule (1),—

(i) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iv) claim of sales made in the course of inter-state trade and commerce or in the course of export of goods out of the territory of India or in the course of import of goods into the territory of India or goods exported out of the State cumulatively or individually exceeding twenty-five lakh rupees in a year;”;

(ii) in clause (xi), the word “and” existing at the end shall be omitted;

(iii) in clause (xii), for sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;

(iv) after clause (xii), the following clause shall be added at the end, namely :—

“(xiii) cases of cancellation of Registration Certificate.”.

RAMENDRA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.